

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 6ए0/प्राक्क0-1170/2018 - 2759 पटना - 15 दिनांक :- 25/10/18
सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय - राज्य योजना के तहत अररिया जिला अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया में पूर्व से निर्मित छः अदद ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में "हर घर नल का जल निश्चय योजना" के तहत विद्यमान संरचना में सुधार, पाईप लाईन का विस्तार कर हर घर नल के जल से आच्छादित करने हेतु योजना की स्वीकृति।

आदेश - राज्य योजना के तहत अररिया जिला अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया में पूर्व से निर्मित छः अदद ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में "हर घर नल का जल निश्चय योजना" के तहत विद्यमान संरचना में सुधार, पाईप लाईन का विस्तार कर हर घर नल के जल से आच्छादित करने हेतु योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य योजना के तहत अररिया जिला अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया में पूर्व से निर्मित छः अदद ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में "हर घर नल का जल निश्चय योजना" के तहत विद्यमान संरचना में सुधार, पाईप लाईन का विस्तार कर योजना से आच्छादित वार्डों में गृह जल संयोजन का कार्य कर योजना में सम्मिलित वार्डों को संतृप्त किया जाना है।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि एवं वार्ड निम्नवत् हैं :-

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना का नाम	वार्ड संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)	
							अंक में	अक्षर में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अररिया	अररिया	जोगीहाट	सिमरिया	सिमरिया	7 एवं 11	39.999	उन्चालीस लाख निनाब्बे हजार नौ सौ ₹0 मात्र।
2			कुर्साकॉटा	कुर्साकॉटा	कुर्साकॉटा	4, 9, 10 एवं 11	66.194	छियासठ लाख उन्नीस हजार चार सौ ₹0 मात्र।
3			कुर्साकॉटा	शंकरपुर	शंकरपुर	7, 8, 9 एवं 10	64.119	चौसठ लाख ग्यारह हजार नौ सौ ₹0 मात्र।
4			पलासी	चहटपुर	पलासी	1, 2 एवं 5	62.633	बासठ लाख तिरसठ हजार तीन सौ ₹0 मात्र।
5			नरपतगंज	मधुरा दक्षिण	नरपतगंज	2, 3, 4, 5, 6 एवं 7	66.829	छियासठ लाख बेयासी हजार नौ सौ ₹0 मात्र।
6			पलासी	बलुआ	बलुआ कलियागंज	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एवं 13	61.817	एकसठ लाख एककासी हजार सात सौ ₹0 मात्र।
					कुल	361.591	तीन करोड़ एकसठ लाख उन्नसठ हजार एक सौ ₹0 मात्र।	

3. इस योजना के मुख्य अवयव विद्यमान संरचना में सुधार, पाईप लाईन का विस्तार, लौह निष्कासन संयंत्र का अधीष्ठापन तथा पाँच वर्ष के लिए संचालन एवं रख-रखाव (विद्युत ऊर्जा पर व्यय सहित) तथा कॉलम-7 में अंकित वार्डों में गृह जल संयोजन का कार्य किया जाना है।

4. इस योजना पर होने वाला योजना व्यय बजट का (I) मुख्य शीर्ष - 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय- उपमुख्य शीर्ष - 01-जल पूर्ति - लघु शीर्ष - 102-ग्रामीण जल पूर्ति - मांग संख्या - 36 - उपशीर्ष - 0132-मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) - विपत्र कोड - 36-4215011020132-विषय शीर्ष - 0132.53.01-मुख्य निर्माण कार्य (II) मुख्य शीर्ष - 4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय- उपमुख्य शीर्ष - 01-जल पूर्ति - लघु शीर्ष - 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- मांग संख्या - 36 - उपशीर्ष - 0114- मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) - विपत्र कोड - 36-4215017890114 - विषय शीर्ष - 0114.53.01-मुख्य निर्माण कार्य

15/5/18

(III) मुख्य शीर्ष - 4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय- उपमुख्य शीर्ष - 01-जल पूर्ति - लघु शीर्ष - 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना - मांग संख्या - 36 - उपशीर्ष - 0119- मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) - विपत्र कोड - 36-4215017960119 - विषय शीर्ष - 0119. 53.01-मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्षों में भारितव्य होगा।

5. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, अररिया होंगे। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी अररिया कोषागार से की जायेगी/बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत संधारित खाते के माध्यम से राशि की विमुक्ति कर योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाएगा।

6. संबंधित कार्यपालक अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता योजना का कार्यान्वयन अनुमोदित प्राक्कलन के विभिन्न मदों की विशिष्टियों के अनुरूप एवं निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेगे।

7. इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही संबंधित अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता की होगी जो योजना के नियमित कार्यान्वयन के क्रम में कम-से-कम क्रमशः दो बार एवं एक बार अनुश्रवण जरूर करेंगे एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियन्ता को जरूर भेजेंगे तथा निराकरण भी सुनिश्चित करायेगे।

8. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

9. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख -तह- विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

10. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्राक्धानों के आलोक में बजट प्राक्धान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि(2), दिनांक-03.01.2018 एवं संकल्प संख्या - एम4-53/2007/3758 /वि0 दिनांक - 31-05-17 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली सुसंगत प्राक्धानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

12. योजना का क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्राक्धानों के अनुरूप किया जायेगा।

13. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

14. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा दी गयी है।

15. वर्ष 2018-19 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्राक्धान है।

16. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

Sushma
24.10.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)

अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

पटना - 15 दिनांक :- 25/10/18

ज्ञापांक - 6ए0/प्राक्क01-1170/2018 - 2759
प्रतिलिपि - वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार /कल्याण विभाग/जिला पदाधिकारी, अररिया/कोषागार पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सचिव के आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख -सह-विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (रूपांकण) / मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो0) / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) के प्रावैधिक सचिव / कार्यपालक अभियन्ता (मो0) / उप निदेशक (मू0) / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकण)/प्रशाखा - 4 / 6ए/आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पूर्णियाँ/अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

Sushma
24.10.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)

अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

Sushma